



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29958

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3847 वर्ष 2026

अमित कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2 - तहसीलदार, तहसील दातागंज, जिला बदायूं को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत लंबित केस संख्या 317687 वर्ष 2025 को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. मामला काफी समय से प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील दातागंज, जिला बदायूं को केस संख्या 317687 वर्ष 2025, धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत, कड़ाई से कानून के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

10 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"